भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके,रांची में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमो पर सार्वजनिक सूचना

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के.ज्ञ.सं.ऐवी.14017/61/2008 -ईस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संग्लन है।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेकहोल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणीया सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री मनीष राज,अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 306 - डी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : manish.raj@nic.in पर भेज सकते है।

(मनीष राज)
अवर सचिव, भारत सरकार,
टेलीफोन - 011 -23062868

(मनीष राज)
(MANISH RAJ)
अवर सचिव / Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

नईदिल्ली
दिनांक: 29.09.2021

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख , 2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके,रांची, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी (समूह'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरणऔर वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वेहोंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-11,2400 रुपये)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़होगी(न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसे अधिमानत: विज्ञान में स्नातक की डिग्रीया समकक्ष होना। (ii) किसी मान्यताप्राप्तसंस्थानसे चिकित्सा अभिलेख प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या न्यूनतम एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। (iii)किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में चिकित्सा अभिलेखों के संरक्षण में दो वर्षों का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टरउपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपए) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; या (iii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चातउस श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की हो। (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों। टिप्पण1:-वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25,500-81,100 रुपए) मेंऐसे विभागीय चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन पर भी विचार किया जाएगा, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की होव प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों और यदि पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन होता है तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधिहै, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह 'ख' विभागीयपुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) एवं विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: यक निदेशक, केंद्रीय मनोश्चिकित्सा संस्थान,रांची - अध्यक्ष; 2. चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय मनोश्चिकित्सा संस्थान, रांची- सदस्य; 3. सहायक प्रोफेसर, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची या प्रोफेसर,भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची - सदस्य।	लागू नहीं होता ।